

कार्यालय प्रभारित निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग कतेहपुर।
पत्रांक 1475- / 20-5 दिनांक, कतेहपुर, नवम्बर, 25 2016।

सेवा में,

महाप्रबंधक (तकनीकी)

उपमंडल राजमार्ग प्राधिकरण,

बवंधू तल, किसान मंडी भवन, विभूतिखण्ड, गौमतीनगर,

लखनऊ।

विषय:-

पुखराया-घाटमपुर-बिंदकी मार्ग (एस0एच0-46) के चौड़ीकरण हेतु कानपुर देहात में किमी0 0.000 से 21.000 तक 20.631 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग व 2026 वर्षों के पालन, कानपुर नगर में किमी0 22.000 से 53.000 तक 29.586 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग व 2889 वर्षों के पालन तथा कतेहपुर में किमी0 54.000 से 82.220 तक 25.3065 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 11658 वर्षों के पालन की अनुमति।

संदर्भ:-

मुख्य वन संरक्षक/जीडल अधिकाारी वन (संरक्षण) अधिनियम 1980, उ0एम0 लखनऊ का पत्रांक 1058/पुखराया-घाटमपुर-बिंदकी मार्ग/ 17826/2016 दिनांक 17.11.2016।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र से दिये गए निर्देश के क्रम में डोंगल कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

25/11/16

प्रभारित निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग,

कतेहपुर